

विवरणी

10-09-2020

अनिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार **मातियस**

~~खड़िया~~ ~~ग्राम - समसैरा~~ को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अनिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध जमाबन्दीदार के ~~पिता विक्रम~~ ~~सैरा~~ द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत भूमि ग्राम ~~समसैरा, खाता सं० 251~~ वर्ष 2015-16 का लगान रसीद ~~खसरा सं० - रकबा 0.41 ए० भूमि~~ प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान ~~विक्रम सैरा ने अपना लिखित~~ ~~रूप में आवेदन दिया~~ है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त ~~अन्य~~ ~~कोई कागजात नहीं~~ है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अनिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार ~~एवं सैरा संख्या दर्ज नहीं~~ है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि **मातियस**

~~खड़िया~~ ~~ग्राम - समसैरा~~ के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसैरा	67	251	—	0.41 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के आधार पर उपरोक्त जमाबन्दी को निरस्त किया जाता है।

लेखापित

 अंचल अधिकारी, बोलबा।

 अंचल अधिकारी, बोलबा।